न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 11/2025

प्रविष्टि दिनांक — 15.04.2025

कमला पत्नी हनुमान जाति गाडिया लुहार निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बनेठा तहसील उनियारा जिला—टोक
2—हल्का पटवारी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 28.10.2024 मिसल नम्बर 1428/2024

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय **दिनांक 16.09.2025**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 28.10.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1607 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु.सडक वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पक्का कमरा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने एंव 50/रू. पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित ना होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 1607 वाके ग्राम बनेठा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलान्ट का मकान जिस जगह स्थित है, वह जगह आबादी भूमि है तथा अपीलान्ट के पक्ष में उक्त भूमि का ग्राम पंचायत बनेठा द्वारा पट्टा जारी कर रखा है। पट्टा पंजीयन विलेख में खसरा नम्बर 5913/1610 अंकित है,उक्त पट्टे को अपीलांट ने दिनांक 10.12.2021 को कार्यालय उप पंजीयक उप तहसील बनेठा से रजिस्टर्ड करवाया है।मकान की जगह पर अपीलान्ट अपने परिवार के साथ प्रारंभ से ही निवास करती चली आ रही है। पूर्व में उक्त मकान कच्चा, ढूंढा व टपरी के रूप में था तथा अपीलान्ट गाडिया लुहार जाति की महिला है तथा राज्य सरकार गाडिया लुहार

जिला कलेक्टर
टोंक

जाति के पुर्नवास के लिए उनके कल्याण के लिए कई सारी उपयोगी योजनाएं चलाकर उनके निवास स्थान के लिए पट्टे जारे करने हेतु समय समय पर जिला प्रशासन को आदेशित करती रही है। उक्त स्थान का पट्टा जारी करने के लिए काफी वर्षो से अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जा रहे थे,जिसकी जांच उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने तहसीलदार उनियारा से करवाई तथा सन् 2018 में तहसीलदार द्वारा की गई जांच में यह अंकित है कि जहां अपीलान्ट टपरी बनाकर निवास कर रही है,वह जगह/स्थान खसरा नम्बर 5916/1310 रकबा 0.70 है. किस्म गैर मुमकिन आबादी है जो ग्राम पंचायत बनेठा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट ने उक्त मकाने के पट्टे पर ऋण भी ले रखा है। अपीलान्ट का मकान खसरा नम्बर 1607 किस्म गैर मुमकिन सड़क में ना होकर खसरा नम्बर 5913/1610 गैर मुमकिन आबादी में है। उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट करने से पूर्व हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर मकान कौनसे खसरा नम्बर में स्थित है,इस संबंध में कोई जांच नहीं की है तथा बिना मौके पर गये ही अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार की है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल से खसरा नम्बर 1607 का नवीन खसरा नम्बर 5231 तथा खसरा नम्बर 5913/1610 का नवीन खसरा नम्बर 5249 बना है।. मकान का बिजली एंव नल का बिल अपीलान्ट के नाम है तथा अपीलान्ट वहां वर्षों से मय परिवार निवास कर रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1607 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु.सडक वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है,जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस की प्रति अपीलांट के मकान पर चस्पा की गई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1607 रकबा 0.01 है0किस्म गै.मु.सडक वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलान्ट का मकान खसरा नम्बर 1607 किस्म गै.मु. सडक में ना होकर खसरा नम्बर 5913/1610 गै.मु. आबादी में है। मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम बनेठा के अनुसार खसरा नम्बर 5913/1610 का नया खसरा नम्बर 5249 व खसरा नम्बर 1559 व 1607 का नया खसरा नम्बर 5231 बना है। नकल जमाबंदी वाके ग्राम बनेठा संवत 2081 मे खसरा नम्बर 5249 रकबा 0.6806 है. किस्म गै. मु.आवादी दर्ज हैं। उप पंजीयक उप तहसील बनेठा के समक्ष प्रस्तुत पट्टा पंजीयन विलेख मे भी खसरा नम्बर 5913/1610 अंकित है। पत्रावली मे उपलब्ध कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के पत्र का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने हनुमान, मुकेश व बृजमोहन गाडिया लुहार बनेठा द्वारा प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रार्थना पत्र आवासीय भू-खण्ड आवंटित करने बाबत के सबंध मे अपने पत्र मे "प्रार्थीगण ग्राम बनेठा के खसरा नम्बर 5913/1610 रकबा 0.70 है. किस्म गै.मु.आबादी मे टपरी बनाकर निवास कर रहे है,जो ग्राम पंचायत बनेठा के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना बेघर को घर को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थीगण को नियमानुसार आवासीय भू-खण्ड आवंटन कर इस कार्यालय को अवगत करावे" का उल्लेख करते हुये पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा को प्रेषित किया है। खसरा नम्बर 2531 एंव 5249 पास-पास होने से यह स्पष्ट नही होता है कि अपीलांट का मकान किस खसरा नम्बर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त तामील कुनिन्दा द्वारा मकान पर चस्पांदगी से तामिल करना अंकित किया है, परन्तु तामील कुनिन्दा द्वारा नियमानुसार तामिल रिपोर्ट में गवाहन के समक्ष नोटिस को चस्पा करना अंकित नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की तामिल सी.पी.सी. के नियमानुसार नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.10.2024 अपास्त कर नायब तहसीलदार बनेठा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दस्तावेजात/मौके की स्वंय जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)